मु0न0:—79/2019

उनवानः— कल्लू बनाम रामेश्वर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 79/2019

दिनांकः— 20.11.2019

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. कल्लू पुत्र रामसिंह
2. गुलबाई पत्नि रामसिंह

समस्त जाति मीना निवासी राजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(सायलान)

बनाम

1. रामेश्वर उर्फ नत्थू पुत्र केडयाराम
2. प्रेमसिंह पुत्र रामेश्वर उर्फ नत्थू
3. प्रेमसिंह पुत्र रामेश्वर उर्फ नत्थू
4. ऋषिकेश पुत्र रामेश्वर उर्फ नत्थू
5. अवकेश पुत्र रामेश्वर उर्फ नत्थू
6. मल्ला पत्नि रामेश्वर उर्फ नत्थू
7. मुनेशी पत्नि मुनेश

समस्त जाति मीना निवासी राजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट सायलान

श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 13.05.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राजौली की आराजी ख0न0 249/0.19, 286/0.16, 287/0.12, 291/0.10, 386/0.14, 387/0.16, 524/0.08, 525/0.10, 560/0.06, 561/0.08, 563/0.27, 564/0.27, 572/0.04, 641/0.26, 764/0.27, 773/0.08, 795/0.15, 809/0.17, 825/0.15, 866/1211/0.23, 876/0.07, 882/1186/0.12 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 1/4 , सायल न0 2 हिस्सा 1/4, दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्सा दीगर खातेदारान के हक मे दर्ज रिकार्ड है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। सायलान सीधे सादे व्यक्ति है जबकि गैरसायलान लठैत एवं प्रभावशाली व्यक्ति है। सायलान की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी हाल ख0न0 249/0.19 है0 के पडौस मे गैरसायलान की आराजी है इसलिये गैरसायलान सायलान की उक्त आराजी को हडपने की फिराक मे रहते है, एवं आये दिन झगडा फसाद करते रहते है।

बाका दिनांक 11.11.2019 को सायलान हाल ख0न0 249 मे अपने 1/2 हिस्से की आराजी पर सरसो की फसल की देखभाल कर रहे थे, [illegible] एकराय होकर सायलान की उक्त आराजी पर आये और सायलान से कहा कि [illegible] इस आराजी को काश्त मत करना क्योकि यह आराजी हमारी पडौस मे है [illegible] गैरसायलान अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो [illegible] अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति इन टमर्स आफ मनी भी संभव नही हो सकेगी।

प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन एंव अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त सा[illegible] के पक्ष मे बखूबी सावित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible] सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अतः प्रार्थना पत्र सायलान अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा ग्राम ख0न0 249 रकवा 0.19 है0 मे सायलान के 1/2 हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। सायलान को बेदखल नही करे, सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि ग्राम राजौली की आराजी ख0न0 249/0.19 है0 के साथ–साथ कुल 22 खसरा किता कुल रकवा 3.27 है0 मे सायलान 1/2 की खातेदारी नाम दर्ज है उक्त सायलान ने ख0न0 249 रकवा 0.19 है0 भूमि को बोर की जमीन छोडकर राशि 2 लाख रूपये मे गैरसायला रामेश्वर उर्फ नत्थू को विक्रय कर दी है तथा चुकता राशी प्राप्त कर उसी समय गैरसायल रामेश्वर का कब्जा करा दिया, आराजी क्रय करने के बाद गैरसायल रामेश्वर ने इस आराजी मे दो गह पाटौर पोश बना लिया है जिसमे गैरसायल का परिवार ने रिहायश कर रखी है यह विक्रय नामा दिनांक 02.09.2019 को हुआ है इस प्रकार इस भूमि से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है गैरसायल रामेश्वर ही वरवक्त दावा दायरी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व आज तक काबिज है, अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई, सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल न0 1 हिस्सा 1/4 , सायल न0 2 हिस्सा 1/4, दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्सा दीगर खातेदारान के हक मे दर्ज रिकार्ड है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। सायलान की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी हाल ख0न0 249/0.19 है0 के पडौस मे गैरसायलान की आराजी है, इसलिये गैरसायलान सायलान की उक्त आराजी को हडपने की फिराक मे रहते है, एवं आये दिन झगडा फसाद करते रहते है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2019 को ता दावा फैसला कन्फर्म करते हुये गैरसायलान को ग्राम राजौली की आराजी ख0न0 249 रकवा 0.19 है0 मे सायलान के 1/2 हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। सायलान को बेदखल नही करे, सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम राजौली की आराजी ख0न0 249/0.19 है0 के साथ–साथ कुल 22 खसरा किता कुल रकवा 3.27 है0 मे सायलान 1/2 की खातेदारी नाम दर्ज है उक्त सायलान ने ख0न0 249 रकवा 0.19 है0 भूमि को बोर की जमीन छोडकर राशि 2 लाख रूपये मे गैरसायला रामेश्वर उर्फ नत्थू को विक्रय कर दी है तथा चुकता राशी प्राप्त कर उसी समय गैरसायल रामेश्वर का कब्जा करा दिया, आराजी क्रय करने के बाद गैरसायल रामेश्वर ने इस आराजी मे दो गह पाटौर पोश बना लिया है जिसमे गैरसायल का परिवार ने रिहायश कर रखी है यह विक्रय नामा दिनांक 02.09.2019 को हुआ है इस प्रकार इस भूमि से सायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है गैरसायल रामेश्वर ही वरवक्त दावा दायरी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व आज तक काबिज है, न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2019 को खारिज करते हुये, प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:20 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकीलो की बहस [illegible] से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] वर्णित [illegible]रने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम राजौली की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख0न0 [illegible] रकवा 0.19 है0 मे सायलान प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के मुताबिक जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वर्णित आराजीयात मे से ख0न0 249 रकवा 0.19 है0 मे गैरसायलान रामेश्वर उर्फ नत्थू, प्रेमसिंह पुत्र रामेश्वर उर्फ नत्थू, मुनेश पुत्र रामेश्वर उर्फ नत्थू आदि ने दो गह पाटौर पोश व छप्पर बने हुये है। इस प्रकार सायलान का खातेदार होने तथा गैरसायलान को वर्णित आराजीयात पर कब्जा साबित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्षकारान को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्षकारान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः उभयपक्षकारान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम राजौली की आराजी ख0न0 249 रकवा 0.19 है0 मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:20 IST
Reason: SelfAttested